न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2023

उनवान

1. श्रीमति मोहरी देवी पत्नी प्रभात

2. रामसहाय पुत्र प्रभात

3. सुणीलाल पुत्र प्रभात

4. कैलाश पुत्र प्रभात

5. शिवदान पुत्र प्रभात

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी जाजैकला, पटवार हल्का जाजैकलां वाया रामपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पुत्री भूरा

2. भैरूराम पुत्र लक्ष्मण

3. मालीराम पुत्र भूरा

4. रतन पुत्र घीसा (फौत)

4/1. ग्यारसी देवी पुत्री स्व. रतन

4/2. हंसा देवी पुत्री स्व 0 रतन

4/3 मोना देवी पत्नी स्व0 कालूराम

4/4. सुरेश पुत्र स्व0 कालूराम

4/5. मुकेश पुत्र स्व0 कालूराम

4/6 पपूडी देवी पत्नी स्व0 कैलाश

4/7. मोहन पुत्र स्व0 कैलाश

4/8 ललिता उर्फ लल्लु पुत्री स्व0 कैलाश

4/9 सन्नी पुत्री स्व0 कैलाश

4/10 रोहनी पुत्री स्व0 कैलाश

4/11 अनिता पुत्री स्व0 कैलाश

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी जाजैकला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

5. रमकी पुत्री भूरा

6. सरजो देवी पुत्री भूरा

समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी जाजैकलां, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

7. राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–अप्रार्थीगण

8. अणची पुत्री बंशीधर

9. आशा पुत्री बंशीधर

10. ओगा देवी पुत्री मोतीराम

11. कमली पुत्री मोतीराम

12. कमली देवी पुत्री प्रभूदयाल

13. कमली देवी पुत्री कजोड

14. केसर देवी पुत्री महादेव

15. केसरी देवी पुत्री कजोड

16. संज्या देवी पत्नि स्व० कालू

17. कल्याण पुत्र स्व० कालू

18. फूली देवी पुत्री स्व० कालू

19. सुल्तान पुत्र स्व0 कालू

20. कमली देवी पुत्री स्व० कालू

21. ग्यारसीलाल पुत्र बंशी

22. गिरधारी पुत्र भाना

23. घीसी देवी पुत्री बंशी

24. छिम्मा देवी पुत्री डूंगा

25. छीतरमल पुत्र डूंगा

26. जगदीश पुत्र बंशी

27. जयराम पुत्र मोतीराम

28. झूमा देवी पुत्री डूंगा

29. झूमा देवी पत्नी कजोड

30. तीजा पुत्री मोतीराम

31. नरेन्द्र पुत्र नन्दा

32. नाथूराम पुत्र नन्दा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

33. पप्पूराम पुत्र डूंगा

34. प्रकाश पुत्र कजोड

35. प्रभाती देवी पत्नि स्व० प्रभूदयाल

36. प्रेम देवी पुत्री कजोड

37. रमकी देवी पत्नी बद्री प्रसाद

38. सुरज पुत्र बद्री प्रसाद

39. सरदार पुत्र बद्री प्रसाद

40. हनुमान पुत्र ब्रदी प्रसाद

41. केसर देवी पुत्री स्व० बद्रीप्रसाद

42. मनभरी देवी पुत्री स्व० बंशीधर

43. सुभाष पुत्र बंशीधर

44. महेन्द्र पुत्र बशीधर

45. बनवारी पुत्र प्रभूदयाल

46. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल

47. मुकेश पुत्र बंशीधर

48. मंगला पुत्र छोटू

49. ममता पुत्री मोतीराम

50. मुरलीधर पुत्र नन्दा

51. मूलचन्द पुत्र मोतीराम

52. मांगीलाल पुत्र छोटू

53. मामराज पुत्र बंशी

54. मालीराम पुत्र भाना

55. राजेन्द्र पुत्र मोतीराम

56. रामगोपाल पुत्र बंशी

57. रामचन्द्र पुत्र बंशीधर

58. रामस्वरूप पुत्र महादेव

59. रामस्वरूप पुत्र कजोड

60. रोहिताश पुत्र बंशीधर

61. विमला पुत्री बंशीधर

62. श्रवण देवी पत्नी मोतीराम

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

63. श्रवण सिंह पुत्र डूंगा

64. सजना देवी पुत्री कजोड

65. सुणीलाल पुत्र महादेव

66. संतकुमार पुत्र बंशी

67. सतपाल पुत्र कजोड

68. सुमित्रा पुत्री बंशी

69. सरदारमल पुत्र प्रभूदयाल

70. सुरेश पुत्र बंशीधर

71. सावित्री पुत्री बंशी

72. सीताराम पुत्र भाना

73. हंसराज पुत्र मोतीराम

74. फुलचन्द पुत्र प्रभात

समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी जाजैकलां, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक 08/07/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी ख0 न0 1790/0.30 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजैकलां, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण भूमि जोत में पहुच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी सं०–1 लगायत 74 के खसरा नं0–1797/0.120 है0 भूमि की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है।

आराजी खसरा नं0–1790 के दक्षिण में खसरा नं0–1797 स्थित है उसके बाद खसरा नं0–1798 कदीमी रास्ता स्थित है जो कि सैकडो वर्षों से सैरनुमा स्थित है जो कि खसरा नं0–1797 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ पक्का रास्ता अवस्थित है प्रार्थी की खसरा नं0–1790/0.30 है० वाकै ग्राम जाजैकलां तहसील–शाहपुरा, जिलला जयपुर में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ता एवं आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं0–1797 के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तरतीबी अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में चाहे गये खसरा नं0–1790/1 रकबा 0.30 है० वाकै ग्राम जाजैकलां के सहखातेदारान है परन्तु उनका किसी का भी उक्त खसरा नं0–1790 के किसी भी भूभाग या अंश पर कोई कब्जा काश्त नहीं है उक्त खसरा नं0–1790 में हम प्रार्थीगण के दो पुख्ता मकानात 30 वर्ष पूर्व से बने हुये है व हमारी कृषि जोत व कब्जे काश्त में उक्त आराजी बाहमी बंटवारे में पूर्वजो के समय से अभी हुई है इसलिये उन्हें उक्त प्रकरण में तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है। उक्त खसरा नम्बर अप्रार्थीगण का खातेदारी में अवस्थित है जो पक्का रोडकृत रास्ता पूर्व से पश्चिम होता हुआ उपलब्ध है तथा प्रार्थीगण की जोत में जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपनी जोत में पहुँचाने के लिए खसरा नं0–1797 के पूर्व पश्चिम में 1798 रास्ते से लगते खसरा नं0–1796 के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर खसरा नं0–1790 तक 12 फुट चौडाई व लगभग 125 फीट लम्बाई में नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को वर्तमान सरकारी दर अदा करने को तत्पर है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प्रस्तावित नक्शा में हल्का पीला राम चिन्हित किया गया है। अतः अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। एवं तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी सं0 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर कपूरिया ने अण्डरटेकिंग दी। अप्रार्थी सं0 07, 16, 17, 22, 25, 29, 40, 53, 67, 72 की तामिल होने के उपरांत भी कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 18.01.2024 को अप्रार्थी सं0 54 की ओर से अधिवकता श्री दीपक शर्मा एवं अप्रार्थी सं0 21, 26, 23 की ओर से अधिवकता श्री जगदीश जाट ने अण्डरटेकिंग दी। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (1) व (2) व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। नकल दिलाई गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 141, 151 सीपीसी पेश किया। उक्त आवेदनों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 141, 151 सीपीसी सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया गया एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रकरण में जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4/1 लगायत 4/11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 14.06.2024 को अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री रणवीर कपूरिया ने अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3, 5, 6 की ओर से प्रकरण में वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी से संख्या 54 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा ने वकालतनामा पेश कर आपत्ति प्रार्थना–पत्र बाबत् एतराज मौका रिपोर्ट पेश किया। नकल दिलाई गई। उक्त आवेदन बाबत् एतराज मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) को स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र बाबत् एतराज मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया मोहरी देवी द्वारा खसरा नंबर 1797 रकबा 0.12 है0 में से पूर्व दिशा में रास्ते की मांग की गई थी। यह कि प्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 26.06.2024 को पत्रावली का अवलोकन करने पर दिनांक 2.2.2024 की मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 1751 रकबा 0.21 है0 में से रास्ते हेतु तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित की गई है जबकि तहसीलदार शाहपुरा, गिरदावर हल्का व पटवारी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय कोई सूचना नहीं दी गई है न ही प्रार्थी की मौजुदगी में कोई मौका देखा गया है। उक्त खसरा नंबर 1751 बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में आया हुआ है तथा सम्पूर्ण भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नंबर 1751 के पश्चिमी सीमा पर कोई पगडंडी चालू नहीं है। यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1724, 1751, 1763, 1764, 1769, 1770, 1771, 1772 लगा0 1781, 1783 लगा0 1788, 1790 लगा0 1792 कुल किता 29 कुल रकबा 5.03 है0 वाकै ग्राम जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थीगण मोहरी देवी पत्नी प्रभात, रामसहाय, सुणीलाल, कैलाश, शिवदान, पुत्रान प्रभात खातेदार प्रभात पुत्र छोटु हिस्सा 1/32 अप्रार्थी संख्या 54 मालीराम पुत्र भाना हिस्सा 1/24 व अन्य सह काश्तकारों की भूमि है, जिसका कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। कानूनन उक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का कब्जा काश्त व हक अधिकार है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 तहसील कार्यालय से अग्रेषित कमांक/रीडर/2024/187 दिनांक 02.02.2024 कानूनी रूप से गलत है। कानूनन सह काश्तकारी की भूमि पर धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। राजस्व कर्मचारियों ने कानून की अवहेलना करते हुये उक्त मौका रिपोर्ट बनाई है, जो गलत है। यह कि धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार के मामलों में लागू होता है, जबकि खसरा नंबर 1751 रकबा 0.21 है0 प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

नंबर 1751 अन्य खातेदार की जोत में नहीं होने से कानूनन उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 251 (क) के प्रावधानों के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट, प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि प्रश्नगत विवादित आराजीयात् का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। अतः कानूनी बंटवारा नहीं होने से व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी/सामलाती भूमि होने से एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 (क) कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित नहीं समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से व विवादित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी होने से एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उपधारा 1 संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/24 **को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।**

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर